एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल–462003
☎- 0755- 2551652. 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक / मुख्या / उद्यान / 2024 / 4003 दिनांक– 15/03/24

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त)

....

विषय– वर्ष 2023–24 के लिये टिश्यू कल्चर पौधों की दरों का अनुमोदन जारी करने बावत्।

निगम के माध्यम से वर्ष 2023–24 के लिये टिश्यू कल्चर पौधों के प्रदाय हेतु निम्नानुसार प्रदायकों से अनुबंध निष्पादित किये गये है:–

क्रं.	प्रदायकर्ता का नाम	टिश्यू कल्चर प्लांट का नाम –प्रजाति	निगम की क्रय दर राशि रूपये में	निगम की विक्रय दर राशि रूपये में (F.O.R. विकासखण्ड स्तर तक)
1	Celgen Biotech India, Near UBI Bank, Sihora, Distt.- Vidisha, M.P. India-464240. Mobile- 9425436112. Email- s.ashutosh91@yahoo.com	BANANA -G 9	रू. 15.24 प्रति पौधा	रू. 16.00 प्रति पौधा
		POMEGRANATE-BHAGWA SUPER	रू. 31.43 प्रति पौधा	रू. 33.00 प्रति पौधा
2	Sachdev Nursery, H 1. H 2. Chopra Khurd, Vaishali Nagar. Damoh- 470661 (M.P.). Mobile- 9039370022, Email- sachdevnursery@gmail.com	BANANA -G 9	रू. 15.24 प्रति पौधा	रू. 16.00 प्रति पौधा

उपरोक्त दरें टिश्यू कल्चर से उत्पादित पौधों के लिये है। प्रदायगी की शर्ते निम्नानुसार रहेंगी :–

1. जिला प्रबंधक अपने जिलों में प्राप्त मांग का पूर्ण विवरण, क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय को विधिवत आदेश जारी करने के लिये प्रेषित करेंगे। मांग के साथ संबंधित विभाग से प्राप्त मांग की फोटोप्रति अनिवार्यतः संलग्न की जाना होगी ।
2. प्रदाय आदेश में उल्लेखित सीमा के भीतर यदि सामग्री प्राप्त नहीं होती है, तो विलंब की स्थिति में सामग्री प्राप्ति हेतु संबंधित विभाग से लिखित सहमति प्राप्त होने के उपरांत प्रदायगी स्वीकार की जाएगी।
3. बिना क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय आदेश के टिश्यू कल्चर पौधों की प्रदायगी मान्य नहीं की जावेगी।
4. टिश्यू कल्चर पौधों की प्रदायगी निम्नानुसार रहेगी :–
   - 4.1 मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध प्रदायक द्वारा सामग्री का प्रदाय निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से प्राप्तकर्ता विभाग को किया जाएगा।
   - 4.2 प्रदायक द्वारा टिश्यू कल्चर पौधों के साथ चालान/देयक 3 प्रतियों में प्रस्तुत किये जाएगें। प्रदायक द्वारा प्रत्येक देयक के साथ इस आशय का स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा कि उत्पादित पौधे टिश्यू कल्चर तकनीक से उत्पादित है एवं देयक में वर्णित उल्लेखित किस्म के ही है।
   - 4.3 सामग्री प्राप्त होने पर प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा सामग्री का भौतिक सत्यापन किया जाएगा तथा सामग्री की गुणवतता से संतुष्ट होने पर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट परिशिष्ट 1 के अनुसार जारी कर, जिला प्रबंधक को उपलब्ध कराई जाएगी।
   - 4.4 भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रबंधक द्वारा सामग्री प्राप्तकर्ता विभाग को प्रदाय की जाएगी एवं सामग्री प्राप्त होने के 15 दिवस की अवधि में प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा हितग्राहियों को सामग्री का वितरण कराया जाएगा। प्रदायगी के 30 दिवस के अन्दर प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा संतुष्टि रिपोर्ट परिशिष्ट 2 के अनुसार जारी की जाएगी।

निरंतर......

5. प्रदायक द्वारा पैकेज आफ प्रेक्टिस पठनीय हिन्दी भाषा में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये जाएगें ।

6. टिश्यू कल्चर पौधों की गुणवत्ता से संबंधी यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो तत्काल प्रदायक द्वारा निरीक्षण कर शिकायत का निराकरण किया जायेगा एवं यदि हितग्राहियों को टिश्यू कल्चर पौधों की गुणवत्ता से हानि होती है, तो नियमानुसार उसकी भरपाई भी प्रदायक द्वारा की जाना आवश्यक होगी।

7. सामग्री के प्रदाय हेतु निर्धारित प्रकिया, समय सीमा एवं शास्ति (पेनाल्टी)

(अ) प्रदायक द्वारा निगम के आदेशानुसार अधिकतम 15 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। प्रदायक द्वारा उचित कारण बताये जाने पर यह समय–सीमा घटाई भी जा सकती है ।

(ब) आदेशित मात्रानुसार सामग्री निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से निर्धारित विभाग/स्थान तक पहुंचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी ।

(स) प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में निम्नानुसार शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित की जावेगी।

क्र	सप्ताह	शास्ति (पेनाल्टी) की दर कुल प्रदायगी की राशि पर
1	प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक	0.25% प्रति सप्ताह
2	तृतीय से चतुर्थ सप्ताह तक	0.50% प्रति सप्ताह
3	पांचवे से छठवे सप्ताह तक	0.75% प्रति सप्ताह
4	सातवे से आठवें सप्ताह तक	1.00% प्रति सप्ताह
5	नवें से दसवें सप्ताह तक	1.25% प्रति सप्ताह अथवा प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त किया जा सकता है ।
6	ग्यारवें से बारहवें सप्ताह तक	1.50% प्रति सप्ताह अथवा प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त किया जा सकता है ।
7	प्रदायक द्वारा प्रदाय से मना किये जाने की स्थिति में	प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त करते हुए। 21% शास्ति (पेनाल्टी) जो की प्रदायक की धरोहर राशि अथवा निगम के अन्य जिलों से किये जानें वाले भुगतान की राशि से वसूली की जावेगी।

भुगतान :

निगम द्वारा **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त अनुसार निगम मुख्यालय द्वारा/क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने की दशा में मुख्यालय स्तर से/निगम के संबंधित जिला कार्यालयों से निम्न प्रकार से प्रदायक के देयकों का भुगतान किया जावेगा :–

(अ) प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेशानुसार केता विभाग से पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्तकर्ता विभाग और निगम के अधिकारियों एवं प्रदायकर्ता के संयुक्त हस्ताक्षयुक्त पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर) प्राप्त होने एवं देयक की राशि प्राप्त होने की दशा में सामान्यतः 7 दिवस के मध्य किया जावेगा ।

(ब) देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा जारी किया गया संतुष्टि प्रमाण पत्र (निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्तकर्ता विभाग और निगम के अधिकारियों की संयुक्त हस्ताक्षयुक्त संतुष्टि प्रमाण पत्र की रिपोर्ट के आधार पर) प्राप्त होने पर 7 दिवस के मध्य किया जावेगा।

(स) यदि संबंधित विभाग द्वारा 180 दिवस की समय सीमा में संतुष्टि प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है व प्रदायित सामग्री के संदर्भ में किसी प्रकार की शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है व निगम को पूर्ण राषि भी प्राप्त हो चुकी हो तो निगम संबंधित विभाग को सूचित करते हुये शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित प्रदायक को कर सकेगा।

निरंतर......

141

(द) निगम को जारी किये जा रहे, देयकों में यदि संभव हो तो बैच नं. का उल्लेख भी रहे साथ ही संबंधित प्रदायक NCS-TCP से टेस्ट करवाते समय उनकी टेस्ट रिपोर्ट में बैच नं. एवं मात्रा का उल्लेख भी करवाये।

8. क्षेत्रीय/जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि समय-समय पर बाजार जाकर सुनिश्चित करें कि निगम द्वारा अनुमोदित टिश्यू कल्चर पौधों का विक्रय स्थानीय बाजार में निगम द्वारा अनुमोदित दर से कम पर तो नहीं किया जा रहा है।

9. इस पत्र के माध्यम से जो दरे अनुमोदित की गई है वह निगम द्वारा जारी आदेशों के विरूद्ध निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से प्रदाय हेतु लागू रहेगी तथा इन्हें किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये दरों का अनुमोदन ना माना जाए। यदि कोई विपरित स्थिति निर्मित होती है तो निगम किसी भी रूप में उत्तरदायी नही रहेगा।

10. प्रदायगी की शेष शर्ते निष्पादित अनुबंध एवं आरसीओ के अनुसार यथावत रहेंगी। आर.सी.ओ की प्रति निगम की वेबसाईट से डाउनलोड कर रिकार्ड में सुरक्षित रखे।

11. जिला प्रबंधक यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे कि सामग्री एम.पी.एग्रो के चालान के माध्यम से ही संबंधित प्राप्तकर्ता विभाग को भेजी जाए। प्रदायक के चालान से भेजी गई सामग्री को मान्य नहीं किया जाए।

12. म.प्र. भण्डार क्रय नियम 2015 (यथा सशोधित 2022) एवं निगम द्वारा जारी किये गये रेट कांट्रेक्ट आफर की प्रति निगम की वेबसाईट पर उपलब्ध है, पूर्ण विवरण हेतु इसकी एक प्रति प्रिंट कर रिकार्ड में रखें एंव तदानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

प्रबंधक (उद्यान)

क्रमांक/मुख्या/उद्यान/2024/ 4004 दिनांक-- 04.03.2024 15

प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेष शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अपर प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेष शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
4. उप संचालक/सहायक संचालक उद्यानिकी एवं खाद्‌य प्रसंस्करण (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
6. मेसर्स .... की ओर सूचनार्थं। प्रदाय देयक निगम के जिला प्रबंधक को जारी करते समय देयक पर इस आशय का उल्लेख अवष्य किया जावे की देयक के विरूद्ध प्रदाय की जा रही सामग्री निगम के आरसीओ के अनुसार निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता अनुसार है। प्रदायक द्वारा सामग्री प्रदाय किये जाने की दषा में यह मान्य किया जावेगा की वह उक्तानुसार समस्त शर्तों से सहमत है।

प्रबंधक (उद्यान)